न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्र0सं0 03/24

दायर दिनांक 02.05.2024

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

दानसिंह पुत्र पन्चू जाति अहीर निवासी मोहनपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राज0

प्रार्थी

बनाम

1–मनसो पुत्र हज्जू जाति अहीर निवासी मोहनपुर तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
2–माखन पुत्र सुमरथ जाति अहीर निवासी मोहनपुर तहसील शाहाबाद जिला बारां राज0
3–राजू पुत्र सुमरथ जाति अहीर निवासी मोहनपुर तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
4–मुलायम पुत्र सुमरथ जाति अहीर निवासी मोहनपुर तह0 शाहाबाद जिला बारां राज0
5–स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक ~~02.05.2025~~ 27.03.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की ग्राम मोहनपुर में ख0नं0 74/4 रकबा 3.09 बीघा व ख0नं0 79 रकबा 4.09 बीघा किता 2 कुल रकबा 7.18 बीघा दर्ज है। प्रार्थी वहेसियत कृषक उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त है। उक्त भूमि को प्रार्थनापत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। दिनांक 29.04.24 को अप्रार्थीगण एकराय होकर प्रार्थी की उक्त आराजी पर ट्रेक्टर से हंकाई कर कब्जा करने की नीयत से आये, प्रार्थी ने वमुश्किल कब्जा करने से रोका। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकी दी कि वे प्रार्थी की उक्त आराजी पर कब्जा करके रहेंगे। अप्रार्थीगण झगडालु किस्म के व्यक्ति हैं जो जबरन ताकत के बल पर प्रार्थी की उक्त आराजी पर कब्जा करना चाहते हैं। अप्रार्थीगण की उक्त धमकी से प्रार्थी को विवादित भूमि पर अपने हक काश्त को भारी आसन्न संकट पैदा हो गया है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है। प्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो अप्रार्थी कम 1 ता 4 अपने विधि विरूद्व उद्वेश्य में कामयाब होकर विवादित आराजी से प्रार्थी को बेदखल कर कब्जा कर लेंगे जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से अप्रार्थीगण को कोई नुकसान नहीं है, अप्रार्थी कम 1 ता 4 के कब्जा कर लेने से प्रार्थी अपने हक काश्त से वंचित हो जावेगा जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई मुद्रा में संभव नहीं है। अप्रार्थी कम 5 सर्वोच्च भूमिधारी होने से वादपत्र में प्रफोर्मा पक्षकार हैं जिनके विरूद्व कोई सहायता नहीं चाही गई है। अतः दौराने वाद अप्रार्थी कम 1 ता 4 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा ... कि अप्रार्थी कम 1 ता 4

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:31:09 IST
Reason: SelfAttested

...3.2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

CamScanner

विवादित भूमि ग्राम मोहनपुर ख0नं0 74/4 रकबा 3.09 बीघा व ख0नं0 79 रकबा 4.09 बीघा किता 2 कुल रकबा 7.18 बीघा या इसके किसी भी भाग पर किसी प्रकार का कब्जा ना करें, ना अन्य से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी कम 1 ता 4 के विरूद्व बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी ग्राम मोहनपुर तहसील शाहावाद संवत 2071–74 अनुसार विवादित आराजी ख0नं0 74/4 रकबा 3.09 बीघा व ख0नं0 79 रकबा 4.09 बीघा किता 2 कुल रकबा 7.18 बीघा प्रार्थी के रिकार्डेड खातेदारी की है, जिसमें हस्तक्षेप करने का अप्रार्थी कम 1 ता 4 को कोई हक अथवा अधिकार नहीं है। अप्रार्थी कम 1 ता 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे हैं, जिन्होने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों का कोई खंडन नहीं किया है, ऐसे में न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाकर दौराने दावा अप्रार्थी कम 1 ता 4 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि अप्रार्थी कम 1 ता 4 प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 74/4 रकबा 3.09 बीघा व ख0नं0 79 रकबा 4.09 बीघा किता 2 कुल रकबा 7.18 बीघा स्थित ग्राम मोहनपुर तहसील शाहावाद बावत प्रार्थी के कब्जे काश्त में कोई भी दखलन्दाजी न तो स्वयं करेंगे, न अन्य से करायेंगे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 27.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर पत्रापली दाखिल दफ्तर हो।

27.03.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:31:09 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner